भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जल प्रदाय/मल निकासी योजना के लिये ऋण की राशि में वृद्धि किया जाना

3678. **श्री कैलाश नारायण सारंग:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जल प्रदाय/मल निकासी योजनाओं के लिये जिस पद्धति से ऋण दिया जाता है, उसके अनुसार विभिन्न जिलों की योजनाओं के लिये ऋण की कुल धनराशि स्वीकृत लागत के पचास प्रतिशत से भी कम हो जाती है;

(ख) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम परियोजना की लागत वृद्धि के लिये कोई ऋण प्रदान नहीं करता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम बीस हजार से भी अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पेयजल/मल निकासी योजनाओं के लिये स्वीकृत लागत का 70 प्रतिशत भाग ऋण के रूप में प्रदान करेगा तथा योजना की पुनरीक्षित लागत पर भी ऋण स्वीकृत करेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (घ) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि वे योजना आयोग द्वारा किए गए आबंटन के आधार पर जल आपूर्ति/गन्दा पानी निकास योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जल आपूर्ति और जल-मल व्यवस्था बोर्डों/नगर पालिकाओं/राज्य सरकारों को प्रति वर्ष ऋण प्रदान करते हैं। जल आपूर्ति और जल-मल व्यवस्था योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने का वर्तमान स्वरूप निम्नलिखित है:-

वित्तीय सहायता का प्रतिरूप

वर्तमान स्वरूप

योजना की लागत	शहरी	ग्रामीण
जहां लागत 1.00 करोड़ रु॰ से अधिक नहीं होती।	लागत का 2/3	लागत का 50%
जहां लागत 1.00 करोड़ रु॰ से अधिक हो परन्तु 5.00 करोड़ रु॰ से कम	0.67 करोड़ रु॰ जमा 1 करोड़ रु॰ से अधिक की लागत का 50%	5.00 करोड़ रु॰ जमा 1 करोड़ रु॰ से अधिक की लागत का 50%
जहां लागत 5.00 करोड़ रु॰ से अधिक हो परन्तु 10.00 करोड़ रु॰ से कम	2.67 करोड़ रु॰ जमा 5.00 करोड़ रु॰ से अधिक की लागत का 40%	2.67 करोड़ रु॰ जमा 5.00 करोड़ रु॰ से अधिक की लागत का 40%
जहां लागत 10.00 करोड़ रु॰ से अधिक हो	4.67 करोड़ रु॰ जमा 10 करोड़ रु॰ से अधिक की लागत का 25%	4.67 करोड़ रु॰ जमा 10 करोड़ रु॰ से अधिक की लागत का 25%

जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि वे संशोधित अनुमानित लागत और वास्तविक अनुमानित लागत के अन्तर का 25% तक ही किसी भी चालू योजना के लिए केवल एक बार वित्तीय वृद्धि के लिए विचार करते हैं बशर्ते कि संशोधित अनुमानित लागत के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया हो और राज्य सरकार द्वारा योजना की शेष लागत को पूरा करने के लिए आवश्यक निधियां प्रदान करने हेतु वचन दिया गया हो। जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि यह वित्तीय स्वरूप स्थानीय निकायों को छोटी योजनाओं की एक बड़ी तादाद को निधि प्रदान करने को निर्धारित किया गया है। 20,000 से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों को वित्तीय व्यवस्था के शहरी स्वरूप के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा। वर्तमान में जीवन बीमा निगम का अलग से ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है जिसमें इस प्रकार के शहरों में पेय जल/जल-मल निकास योजनाओं के लिए स्वीकृत लागत के 70% की सीमा तक ऋण प्रदान करने की बात कही गयी हो।

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक

3679. **श्री कैलाश नारायण सारंग:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने 25 अप्रैल, 1994 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से अनुरोध किया है कि उसे भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विदेशी मुद्रा में संव्यवहार करने हेतु लाइसेंस प्रदान किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि विदेशी मुद्रा में लेन-देन करने हेतु लाइसेंस के लिए उसे मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (एम पी एस सी बी) से कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अलबत्ता, विदेशी मुद्रा में लेन-देन करने हेतु लाइसेंस के लिए एम पी एस सी बी, भोपाल ने 25.4.1994 के अपने पत्र के तहत भारतीय रिजर्व बैंक, मुद्रा नियंत्रण विभाग के पास आवेदन पत्र भेजा था। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है।

Licences for changing Foreign Currency into Indian currency

3680. SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Reserve Bank of India has issued licences to several individuals/private firms for changing foreign currency into Indian currency;

(b) if so, what are the names of such licencees with their locations State and Territorywise with formalities required for getting such licence;

(c) whether the Reserve Bank of India pays some Commission to such licencees for their Service;

(d) if so, the details thereof and if not, reasons therefor;

(e) whether such licencees are also working in foreign countries; and

(f) if so, give their locations country-wise with formalities required in their cases for getting such licence?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) Yes, Sir.

(b) Over 3000 such licencees are functioning all over India. As regards formalities required for getting such licences, the applicant has to make an application to Reserve Bank's regional office together with the following documents:—

(i) A copy of registration certificate under Shops and Establishment Act.

(ii) Banker's confidential reports in a sealed cover addressed to Joint/Deputy Controller, Exchange Control Department of the respective regional office of RBI.

(iii) An undertaking to keep the office open beyond banking hours and also on Sundays and holidays.

(iv) An undertaking to collect the minimum foreign currency from public in a calendar year as stipulated by RBI from time to time.

(v) If the applicant is a company, a copy of Memorandum of Association clearly indicating the clause therein which enables the company to undertake money changing activity.

In case the application is for a full-fledged money changer's licence where the licence holder can also sell foreign currency for private visits abroad or for business travel, the following additional documents are necessary:—

(i) A copy of the audited balance sheet for the preceding financial year.

(ii) A declaration that the applicant is not under adverse notice of any Law Enforcing Agency.

(c) No, Sir.

(d) The money changers are allowed to charge commission at the rate of 0.5% on the market rate quoted by the Authorised Dealer for purchasing foreign currency.

(e) No, Sir.

(f) The question does not arise.

Licences for changing soiled currency Notes

3681. SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Reserve Bank of India has issued some licences/permission to certain individuals/organisations for changing soiled and torn currency notes;

(b) if so, give their locations State and Union Territory-wise with formalities required for such licence/permission;